(क)– लेख–सरकारी करण या निजीकरण या समाजीकरण।
(ख) वैद्धराज आहूजा भानूप्रताप पुर के कृषि उपज पर टैक्स संबंधी प्रश्न का उत्तर।
(ग) रामानुजगंज के प्रयोग पर विवरण।

(क) सरकारीकरण, निजीकरण या समाजीकरण

जब से यह सृष्टि बनी है तब से ही शासक वर्ग में समाज को गुलाम बनाकर रखने की ईच्छा रही है। शासक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीको का इस्तेमाल करते रहे है। स्वतत्रंता के बाद भारत में भी अलग अलग समूहों ने अलग अलग तरीको से समाज को गुलाम बनाये रखने के प्रयत्न जारी रखे। मुख्य रूप से तीन विचारधारायें सामने आई। साम्यवादी विचारधारा जो बन्दूक के जोर पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे , अब तो हार थक कर उन्होनें नक्सलवाद के नाम पर प्रत्यक्ष बन्दूक उठा ली है । दूसरा प्रयत्न पूँजीवादियों का रहा जिन्होनें लोकतंत्र के नाम पर इसी कार्य को जारी रखा। तीसरा प्रयत्न मुस्लिम संगठनो का और संघ परिवार का रहा, जिन्होनें धर्म और ताकत को जोड़कर वही प्रयत्न शुरू किया । तीनो प्रयत्न आपस में भले ही टकराते रहे हो किन्तु ईच्छा तीनो की एक समान थी, कि समाज को अधिक से अधिक गुलाम बना कर रखा जायें।

सबसे पहले गांधी ने इस खतरे को पहचाना और ग्राम स्वराज्य के नाम से समाज सशक्तिकरण का नारा दिया। इसमें गांधी ने राज्य, धर्म और धन से भिन्न सामाजिक एकता की योजना प्रस्तुत की। किन्तु स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही गांधी चले गये और तीनो विचाधाराओं को छूट मिल गयी कि वे समाज को गुलाम बनाकर रखने की खुली स्पर्धा कर सकें । गांधी के मरते ही गांधीवादियों नें सर्वोदय के नाम पर इस योजना में स्वयं को एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया। गांधीवादी संघ के एक पक्षीय विरोध के लिये इस सीमा तक उतावले हो गये कि उन्होनें न केवल गांधी के प्रयत्नो को छोड़ा बल्कि उससे आगे बढकर उन्होनें सरकारीकरण और हिंसा तक का समर्थन शुरू कर दिया। सर्वोदय का हर कार्यकर्ता निजीकरण का खुल्लेआम विरोध करता रहा, पूँजीवाद को गाली देता रहा, संघ और हिन्दुत्व के विरोध का नेतृत्व करता रहा, किन्तु सरकारीकरण, साम्यवाद हिंसा या इस्लामिक हिंसा पर या तो वह चुप रहा या उसने मौन समर्थन किया। नक्सलवादी हिंसा के समर्थक विनायक सेन या ससंद पर आक्रमण के आरोप से मुक्त हुऐ तथाकथित मुसलिम आतंक वादी प्रोफेसर गिलानी तक के समर्थन में सर्वोदय के उच्च पदाधिकारी सामने खड़े दिखते रहे । बंगाल के साम्यवादी सरकार और नक्सलवादियों के बीच टकराव में भी सर्वोदय की सहानूभूति हिंसा समर्थक नक्सलवादियों के साथ ही रही । अमेरिका विरोध का तो जैसे इन्हो नें ठेका ही उठा रखा था। सारा देश परमाणु बिजली खरीदने के लिये अमेरिका के समझौतें के पक्ष में था, सर्वोदय के उच्चपदाधिकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर परमाणु बिजली समझौतें के विरोध में नारे लगा रहे थे । गांधी के नाम पर गांधी के मानने वाले लोग इस तरह खादी पहनकर सरकारीकरण, नक्सलवादी हिंसा या इस्लामिक हिंसा का मौन समर्थन करेगें ऐसा तो कभी सोचा भी नही गया था ।

अब परिस्थितिया बदल गई है । सरकारीकरण असफल नीति के रूप में घोषित हो चुका है। इस्लामिक आतंकवाद भी दम तोड रहा है। नक्सलवाद के समर्थक भी परेशान हो रहे है। भारत सरकार ने निजीकरण की दिशा में तेज गति से चलना शुरू कर दिया है। साम्यवादी अब विधवा विलाप तक सीमित है। सर्वोदय भी धीरे धीरे लोकस्वराज्य की दिशा में बढना शुरू कर चुका है। लगता है कि हिंसा और सरकारीकरण पूॅजीवाद के राह पर तेजी से बदलकर चलना शुरू कर देगा ।

किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या पूॅजीवाद या निजीकरण सर्वश्रेष्ठ मार्ग है? मार्ग अहिंसक तो हो सकता है किन्तु पूॅजीवाद के माध्यम से समाज को गुलाम बनाकर रखने की ईच्छा में कोई कमी नही दिखती है, पूॅजीपतियों और सत्ताधीशो के बीच उसी तरह का नापाक गठबन्धन शुरू हो गया है। जैसा स्वतंत्रता के पूर्व धूर्तसर्णों और धूर्तअवर्णो के बीच आरक्षण के नाम पर नापाक गठबन्धन हुआ था, और जो आज भी जारी है। धन सम्पत्ति पूॅजीपतियों के पास तीव्र गति से इक्कठी होती जाय और उसकी जूठन श्रम जीवियों और गरीबों तक राज्य पहुचाता रहें, इसका हर प्रयत्न पूरे जोर शोर से किया जाता है। अभी अभी देश के बडे बडे नेताओं ने गन्ना अध्यादेश लागू करने और निरस्त करने का नाटक किया । दिल्ली में बहुत बडा प्रदर्शन भी हुआ, सरकार झुक भी गई किन्तु सबकी आवाज थी कि सरकार गन्नें का मूल्य बढायें। एक भी आवाज ऐसी नही थी कि सरकार गन्ने पर सरकारी प्रतिबन्ध हटावें। स्वतंत्र भारत में भी किसान अपने गन्ने का गुड़ नही बना सकता, ऐसे बेशर्म प्रयत्न आज भी भारत में जारी है, भले ही ये प्रयत्न सरकारी करण से हटकर निजीकरण के ही क्यो न हो रहे हो। सरकारी एजेन्सिया घूम घूम कर गांवो में साबुन से हाथ धोने का जितना प्रचार कर रही है वह भी तो ऐसे ही अभियान का एक हिस्सा है। स्पष्ट है कि सरकारीकरण से हमारा पिंड छूट रहा है। किन्तु हमारी लडाई खतम नही हुई है। क्योकि समाज को गुलाम बना कर रखने की राज्य पूॅजीपतियों की संयुक्त मुहिम से भी तो समाज को ही लडना होगा। निजीकरण सरकारीकरण की अपेक्षा एक वैसा ही अच्छा विकल्प है, जैसा तानाशाही की जगह लोकतंत्र । यह विकल्प तो हो सकता है किन्तु सामाधान नही है। इसका सामाधान समाज नियंत्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि लोकतंत्र का समाधान लोक स्वराज्य के रूप में प्रस्तावित है।

धन पर न राज्य का एकाधिकार होना चाहिये न पूॅजीपतियों का, धन की व्यवस्था पर समाज का नियंत्रण ही आदर्श स्थिति हो सकती है।

आज कल समाज को धोखा देने के लिये वोटर पेंशन नाम से एक मुहिम शुरू हुई है। कुछ राजनैतिक दल अपनी सत्ता मिलते ही एक हजार से लेकर पांच हजार रू महीने तक नागरिकों को मुफ्त देने की धोषणा कर रहे है जिसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य सत्ता में आकर समाज को गुलाम बना कर रखने की ईच्छा के अतिरिक्त कुछ भी नही है। अच्छा होता यदि ये लोग गांवो को अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत करते और कहते कि यदि गांवो को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जायेगी, तो वर्तमान टैक्सों के रहते हुये भी प्रत्येक व्यक्ति को कई हजार रूपये महिने स्वतः ही वोटर पेंशन के रूप में मिल जायेगा। ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा। किन्तु ऐसा कहने से इन दलों को अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा कम करनी पड सकती है जो इनका उद्देश्य नही है।

सरकारीकरण को निजीकरण की दिशा में बढने का हम स्वागत करते है किन्तु निजीकरण को समाजीकरण में बदलने का हम प्रयत्न करेगें। हम चाहेंगें कि सरकार में वित विभाग को संवैधानिक दर्जा दिया जाय । वित मंत्रालय वैसे ही स्वतंत्र हो जैसा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। गांवों को गांव सम्बन्धि आर्थिक मामलो में पूर्ण स्वतंत्रता हो। जिले अपने जिले में, प्रदेश अपने प्रदेश में और केन्द्र राष्ट्रीय आर्थिक मामलो मे स्वतंत्रता से निर्णय ले। राज्य को सुरक्षा न्याय जैसे जो भी विषय दिये जाये उसके खर्च की व्यवस्था अर्थपालिका रूपी यह चौथा स्तम्भ करे किन्तु किसी की भी स्थिति में विधायिका को अर्थ सम्बन्धी मामलो में स्वतंत्रता देना खतरनाक कदम है। जिसके पास सेना है,

पुलिस है, न्याय है, उसी के पास अर्थ भी हो जाये यही तो समाज की गुलामी का लक्षण है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज लोकस्वराज्य के साथ साथ अर्थस्वराज्य की दिशा में भी सोचना शुरू करें।

मैं समझता हूँ कि यह आसान काम नहीं है। सरकारी करण के आकर्षक नारे से पिण्ड छुडाने में साठ वर्ष लग गये । अब भी आंशिक ही पिण्ड छूटा है । कुछ माह पूर्व ही जरा सी आर्थिक मंदी का हल्ला होते ही समाजवाद के नाम पर पूँजीवाद विरोधी चूहे अखबारों मे टूट पड़े । ऐसे लेख आने लगें जैसे सरकारी करण ही इस समस्या का एक मात्र समाधान हो । मनमोहन सिंह जी ने धैर्य से काम लिया । शीघ्र ही सारी चिल्लाहट बन्द हो गई । किन्तु सरकारी करण के विरूद्ध निजीकरण जितना आसान था उतना आसान निजीकरण के स्थान पर समाजीकरण नहीं होगा । सभी पूँजीवादी इसका एक स्वर मे विरोध करेगे तथा राजनेता तो विरोध करेगें ही । निजीकरण की लडाई में दुनिया के पूंजीवादी देश भी साथ थे और मनमोहन सिंह जी भी वैसी ही पढ़ाई पढ़कर निकले हुए हैं। किन्तु स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था तो पूरे विश्व के लिये बिल्कुल नयी बात हो सकती है । इसलिये यह कार्य बहुत कठिन दिखता है।

दूसरी ओर लोक स्वराज्य की सफलता के साथ जुड़ जाने से यह बात उतनी कठिन नहीं भी हो सकती है। ग्रम सभाओं को प्रशासनिक;संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक मामलो मे भी सीमित किन्तु स्वतंत्र अधिकार मिलें, यह मांग कठिन नहीं दिखती। एक बार इस मुद्दे पर आवाज तो उठनी शुरू हो । आगे तो बात अपने आप बढ़ जायगी । प्रश्न यह नहीं है कि जल्दी सफलता मिले या देर से मिले प्रश्न यह है कि इसके अतिरिक्त और समाधान क्या है? सरकारीकरण की तो बात ही नहीं हो सकती । पूँजीवाद को ही और संशोधित स्वरूप देना है। आशा है कि समाजीकरण पर एक सार्थक बहस छिड़ेगी और कोई समाधान मिल सकेगा।

प्रश्नोत्तर

(ख) श्री वैधराज आहूजा भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़

प्रश्न– आपने लिखा है कि कृषि उपज पर भी कर लगता है । मैने पता किया बताया गया कि किसानो पर किसी तरह का कर नहीं है । जो भी कर लिया जाता है वह व्यापारियों से लिया जाता है सच्चाई क्या है इसे आप और स्पष्ट करें ।

उत्तर–किसान अपनी जो भी फसल तैयार करता है वह मंडी में व्यापारी को बेचता है। व्यापारी से उक्त माल उपभोक्ता खरीदता हैं । गांव का हर किसान कुछ वस्तुएँ बेचता है और कुछ खरीदता है । गांव के नब्बे प्रतिशत लोग कुछ न कुछ पैदा करते हैं या खरीदतें हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो सिर्फ खरीदतें ही हैं किन्तु पैदा कुछ नहीं करते। उपभोक्ता जिस मूल्य पर व्यापारी से माल खरीदता है उसमें से सरकारी टैक्स काटकर ही तो व्यापारी उत्पादक से अनाज लेता हैं । कल्पना करिये कि उपभोक्ता मका दस रूपये किलो व्यापारी से खरीदता है और सरकार व्यापारी से पचास पैसा किलो टैक्स वसूल कर ले तो व्यापारी किसानो को नौ रूपया पचास पैसा ही देगा। उसमे से ही वह अन्य अपना लाभ या खर्चे भी किसान से कम कर देगा । आप बताईये कि बिचौलिया कभी टैक्स देता है क्या ? टैक्स तो उपभोक्ता और उत्पादक ही मिलकर दिया करते है । व्यापारी तो उक्त टैक्स में से कुछ न कुछ घपला भले ही कर दे किन्तु किसी भी माल पर लगने वाला कोई कर कभी भी व्यापारी नहीं देता । व्यापारी टैक्स चोरी के लिये ही चिल्लाता रहता है अन्यथा टैक्स से व्यापारी को कोई हानि कभी नहीं होती।

कोई व्यापारी कुल मिलाकर जितना टैक्स इकठा करके सरकार को देता है उतना तो कुल मिलाकर उसका लाभ भी नही होता । कुछ वस्तुओ पर दस से बारह प्रतिशत तक कर है । यदि व्यापारी अपनी कुल विकी का पांच प्रतिशत भी सरकार को दे दे तो व्यापारी का दिवाला पिट जायगा । व्यापारी टैक्स देता है यह असत्य है जो जानबूझकर फैलाया जाता हैं।

गांव का किसान शहर मे माल बेचता है तो शहर का व्यापारी उससे टैक्स काटकर किसान को पैसा देता है किसान जब उक्त व्यापारी से कपडा किराना या अन्य सामान खरीदता है तब व्यापारी किसान से टैक्स जोड़कर पैसा लेता हैं। किसान ने सौ रूपये का अनाज बेचा तो उसे पचान्नवे रूपया प्राप्त हुआ और वह पंचानवे रूपये का सामाान खरीदा तो उसे नब्बे रूपये का ही सामान प्राप्त हुआ क्योकि वह जो कुछ वेचता है उस पर भी सरकार का टैक्स है और खरीदता है और उसपर भी । यहा तक कानून बनाये गये है कि किसान अपना अनाज उसी व्यापारी को वेच सकता है जिसे खरीदने का सरकारी लाईसेंस प्राप्त हो । मंडी के बाहर किसान वेच नही सकता । मंड़ी के अन्दर व्यापारी यदि एक जुट हो जावें तो किसान अपना माल वेचने को स्वतंत्र तो है नहीं । मैने जो लिखा है उस मुद्वे पर पर आप और पता करके लिखियेगा तब बात और साफ हो जायगी।

(ग) व्यवस्था परिवर्तन का आरंभ

झारखण्ड और उत्तरप्रदेश के बॉर्डर पर छत्तीसगढ का एक शहर है रामानुजगंज। यह शहर वर्तमान में नगरपंचायत़ क्षेत्र है जिसे पुलिस जिला तो बनाया जा चुका है राजस्व जिला बनना अभी बाकी है। इसी छोटे से शहर में आज से सत्तर वर्ष पूर्व एक अग्रवाल परिवार मे बजरंगलाल जी का जन्म हुआ। स्वतंत्रता के बाद बचपन में ही इन्होने महसूस किया और घोषित भी किया कि देश तो तरक्की कर रहा है किन्तु समाज लगातार पीछे जा रहा है। पॉच प्रकार के अपराध– 1– चोरी, डकैंती और लूट 2– बलात्कार 3–मिलावट और कम तौलना 4– जालसाजी और धोखाधडी 5– हिंसा और आतंक औरछः प्रकार की समस्यायें– 1– भ्रष्टाचार 2– चरित्र की गिरावट 3– साम्प्रदायिकता

4– जातीय टकराव 5– आर्थिक असमानता 6– श्रमशोषण

लगातार बढती जा रही है। यदि एक भी समस्या अनियन्त्रित हो जाये तो समाज दुखी हो सकता है। भारत में तो सभी ग्यारह समस्याऐं लगातार बढ़ती ही जा रही है और निकट भविष्य में समाधान के लक्षण भी नही दिख रहे हैं। उन्होने बचपन से ही राजनीति में प्रवेश कर समस्याओं के समाधान के प्रयत्न किये किन्तु असफल रहे।

आपातकाल में जेल से छूटने के बाद शासन के उच्च अधिकार सम्पन्न प्रयत्नों के बाद भी कोई सुधार नही हो सका। देश तरक्की करता रहा किन्तु समाज में ग्यारह समस्याऐं लगातार बढ़ती ही रहीं। तब 25 दिसम्बर 1984 को राजनीति से सन्यास लेकर एक पहाड़ी के नीचे इन्हाने आश्रम बनाया और वहॉ देशभर के विद्वानों के साथ लगातार चर्चायें करके इन समस्याओं की पहचान, कारण और समाधान पर शोध किये। इस शोधकार्य में रामानुजगंज नगर पंचायत में पॉच वर्षो तक प्रयोग भी किया गया और उसमें सफलता भी मिली। उक्त अनुसंधान 25 दिसम्बर 2008 को पूरा घोषित कर दिया गया। इसके अनुसार सभी समस्याओं के विस्तार में राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप को कारण माना गया है। समझा गया कि राज्य समाज को अधिक से अधिक गुलाम बनाकर रखना चाहता है। इस कार्य के लिये वह समाज में वर्ग विद्वेष फैलाता है, अधिक से अधिक टैक्स लगाकर छूट देने का नाटक भी करता रहता है तथा सरकारीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करता रहता है।

राज्य कभी नही चाहता कि समाज एकजुट हो या मजबुत हो या आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो, वह हमेशा चाहता है कि समाज बटा रहे, टूटा रहे, राज्य पर आश्रित रहे तथा गुलाम मानसिकता में जीना सीख ले। यह भी अनुभव किया गया कि स्वतंत्रता के पूर्व तानाशाही थी, विदेशी गुलामी थी किन्तु समाज के मामलो में राज्य का उतना हस्तक्षेप नही था जितना स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक भारत में बढता चला गया। अब तो समाज व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर दिया गया है और समाज के स्थान पर राज्य ही समाज का स्थान लेने के लिये प्रयत्नशील है। निष्कर्ष निकला कि समाधान के रूप में लोकतंत्र को लोकस्वराज्य की दिशा में ले जाना होगा तथा समाज को धीरे–धीरे संगठित और मजबूत करना होगा। 25 दिसम्बर 2008 को उक्त अनुसंधान को पूरा मानकर आगे की योजना बननी शुरू हुई तथा तीन कार्य शुरू करने की योजना बनी।

(1) कुछ गॉवों में लोकस्वराज्य का प्रयोग किया जाये।
(2) देश भर में लोकस्वराज्य के लिये जनजागरण किया जाये।
(3) समाज के आम लोगो में ज्ञानतत्व विस्तार किया जाये।

ज्ञानतत्व के विस्तार के लिये बजरंगलाल जी जो वानप्रस्थ लेकर बजरंग मुनि के नाम से विख्यात हो चुके हैं, के विचार समाज में विचारमंथन के उद्देश्य से सी.डी. के रूप में 1 सितंबर 2009 से प्रचारित किये जा रहे हैं। लोकस्वराज्य के लिये जनजागरण के उद्देश्य से देश भर में लोकस्वराज्य अभियान भी प्रारम्भ हो चुका है। गॉवों में लोकस्वराज्य के प्रयोग के लिये रामचन्द्रपुर विकासखण्ड को चुना गया है जिसका मुख्यालय रामानुजगंज शहर है। इस विकासखण्ड के अन्तर्गत 113 गॉव तथा एक शहर रामानुजगंज आते हैं। प्रारम्भिक तौर पर पॉच कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं–

(1) लोक और तंत्र के बीच की दूरी को कम करना – भारत में लोकतंत्र का अर्थ लोक नियुक्त तंत्र बना दिया गया है जबकि उसे लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिये था। संविधान के द्वारा तंत्र संरक्षक की भूमिका में स्थापित है जबकि उसे मैनेजर की भूमिका मे होना चाहिये था। स्वाभाविक ही है कि संरक्षक लगातार शक्तिशाली होता चला गया और धीरे धीरे समाज को गुलाम समझने लगा। अब तो स्थिति यहा तक आ चुकी है कि तंत्र कुर्सी पर बैठता है और लोक जमीन पर बैठता है, तंत्र कानून बनाता है और लोक तदनुसार आचरण करता है, तंत्र आदेश देता है और लोक पालन करता है। धीरे धीरे तंत्र से जुड़े लोगों की नियत भी खराब होती गई तथा उनका एक अलग संगठन सरीखा बन गया है। लोक और तंत्र के बीच दूरी बढ़ती ही जा रही है, इस दूरी को कम करने के लिए ग्रामसभा सशक्तिकरण अभियान पूरे विकासखण्ड में एक साथ 25 दिसम्बर 09 से शुरू किया जायेगा । इसके अन्तर्गत ग्रामसभा अपने वास्तविक स्वरूप में बैठकर निर्णय लेना शुरू करेगी और तंत्र को बाध्य करेगी कि वह ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार चलना शुरू करे। निष्क्रिय ग्रामसभाओं में तंत्र से जुड़े लोगों को भी समानता के आधार पर एक साथ बिठाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(2) अहिंसक समाज रचना – इसके अन्तर्गत पूरे ब्लॉक के सभी नागरिको को अहिंसा की प्रतिज्ञा भी दिलवाई जायेगी और ट्रेनिंग भी दी जायेगी। चुकि यह विकासखण्ड छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित सरगुजा जिले का हिस्सा है। इसलिये अहिंसक समाज निर्माण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।

(3) वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना – ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए प्रत्येक गांव में 15 लोगों की एक लोक पंचायत का गठन किया जायेगा। इस लोक पंचायत में किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र, लिंग, गरीब–अमीर या किसान मजदूर का भेद भाव नही किया जायेगा। ग्रामसभा के सब लोग मिलकर जिन 15 लोगो को यह काम सौपेगें उन्हें यह काम जिम्मा दे दिया जायेगा। यह लोक पंचायत शासकीय ग्रामपंचायत से अलग होगी तथा इस लोक पंचायत को किसी प्रकार के शासकीय अधिकार नहीं होंगे। यह लोक पंचायत तो ग्राम सभा द्वारा दिये गये अधिकारो द्वारा ही काम करेगी। प्रयत्न किया जायेगा की ग्राम सभा में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र, लिंग गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, आदि के नाम पर विद्वेष फैलाने वाले विचारो को निरूत्साहित किया जाये, तथा ग्रामसभा को एक परिवार के रूप में विकसित किया जाये।

(4) भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामपंचायत व्यवस्था– वर्तमान समय में ग्रामसभाओं की निष्क्रियता के कारण सरकारी पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार है। पंचायत के जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मिलकर मनमानी भी करते हैं और भ्रष्टाचार भी। ग्रामसभा के नाम पर कुछ लोगो के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं और खानापूर्ति हो जाती है। वास्तविक ग्रामसभा बैठती ही नही है। लोकपंचायत सरकारी पंचायत के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और कोशिश करेगी कि ग्रामसभा वास्तविक स्वरूप में बैठे, जिससे सरकारी प्रस्तावो की ठीक–ठीक समीक्षा हो और अनुचित प्रस्ताव पारित न हो सके। इस प्रयत्न से सरकारी पंचायतों के जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी भ्रष्टाचार नही कर पायेंगे। ग्रामसभा सशक्तिकरण से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत व्यवस्था आसानी से बनाई जा सकती है।

(5) किसानों के अपनी जमीन पर उत्पादित फसलों पर लगनें वाले किसी भी प्रकार के टैक्स या प्रतिबंध की समाप्ति हेतु शासन से निवेदन– वर्तमान समय में गॉवों में अपनी जमीन पर पैदा किये अनाज,गन्ना, पेड़–पौधे, लकड़ी, तिलहन या अन्य अनेक वस्तुओं पर शासन के द्वारा अनेक प्रकार के कर वसूले जाते है और उन करो में से किसानो को आंशिक सुविधा देकर वाहवाही लूटी जाती है। यह कर वसूली अप्रत्यक्ष होने से किसानो को पता नही चलता और सुविधाये प्रत्यक्ष होने से किसान बेचारा ठगा जाता है। सरकार इन टैक्सो की वसूली के उद्देश्य से किसानो के उपज के आवागमन पर भी बहुत तरह के प्रतिबन्ध लगा दिया करती है क्योकि उसका उद्देश्य होता है किसानो से अधिक से अधिक टैक्स लिया जाये और उसमें से कुछ थोड़ी सी रकम सब्सीडी के रूप मे बांट दी जाये । पूरे भारत में यह टैक्स प्रणाली किसी न किसी रूप में लागू है। शासन से निवेदन किया जायेगा कि ऐसी वस्तुओं पर न कोई टैक्स लगावें, न ही किसी तरह का प्रतिबन्ध लगावे। गांव तो वैसे ही पिछड़े हुए है, उन्हें मदद की जरूरत है न कि किसी टैक्स की । सरकार कई गुना अधिक टैक्स वसूल कर किसानो को कुछ थोड़ी सी सब्सीडी देने का नाटक करती है जो उचित नही है। लगातार शासन से मांग की जायेगी कि वह इस प्रकार के नियंत्रण हटा ले, और यदि आवश्यक ही हो तो ग्रामसभाओं को अधिकार दे दे कि वे इस प्रकार के टैक्स इकट्ठे करके उसी में से राहत देने की योजना बनावें ।

रामचन्द्रपुर विकासखण्ड के सभी 113 गांवो में 25 दिसम्बर से लोकस्वराज्य घोषित करके ग्रामसभाओं को सशक्त करने की शुरूआत हो रही है। पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि लोक पंचायत सरकारी ग्राम पंचायत के निर्माण या कार्यो में किसी प्रकार से न बाधक हो न ही हस्तक्षेप करे । यदि सरकारी पंचायते या तंत्र से जुड़े लोग भ्रष्टाचार भी करते है तो लोक पंचायत ग्राम सभा में उक्त बात को उठायेगी या सरकार के सामने यह बात लायेगी, किन्तु किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था के समक्ष कोई चुनौती खड़ी नही की जायेगी ।

वर्तमान परिस्थितियों में समाज सशक्तिकरण के लिये लोकस्वराज्य तथा लोकस्वराज्य के लिये ग्रामसभा सशक्तिकरण ही एक मार्ग दिखता है। इसलिये रामानुजगंज (रामचन्द्रपुर) विकासखण्ड से शुरूआत की गई है। कार्य कठिन है, किन्तु इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नही है। वर्तमान राजनीति के भरोसे तो प्रतीक्षा करना कोई बुद्धिमानी नही है।

आशा है कि इस शुरूआत पर व्यापक सफलता मिलेगी ।